भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-358
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति

***358. श्री इमरान मसूदः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अपनी छात्रवृत्ति के लिए नए सिरे से आवेदन/नवीकरण करने में असमर्थ रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के कारण बड़ी संख्या में बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है; और
(घ) क्या सरकार उन छात्रों को कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पाए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री इमरान मसूद द्वारा "आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति" के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 358 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत योजना के दिशानिर्देशों के अध्यधीन, ₹4.5 लाख प्रति वर्ष तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रतिभागी की अल्पसंख्यक स्थिति के बारे में कोई मानदंड नहीं है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में, सभी समुदायों के लगभग 5.5 लाख छात्र- छात्राओं को पीएम-यूएसपी सीएसएसएस छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

(घ): प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी (पीएम विद्यालक्ष्मी), जो एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक समुदायों के उन सभी छात्रों को, जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं, बिना किसी गारंटी और ज़मानत के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अलावा, ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, इस योजना के तहत ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान की जाती है। कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट न पाने वाले एक लाख तक नए छात्रों को यह ब्याज छूट मिलेगा। एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in, विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा विभाग पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएम यूएसपी-सीएसआईएस योजना के अंतर्गत, उन सभी छात्रों को पूर्ण ब्याज छूट प्रदान किया जाता है जो एनएएसी से प्रत्यायन प्राप्त उच्चतर शिक्षा

संस्थानों/एनबीए से अनुमोदित तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है, उन्हें ऋण स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज पर पूर्ण छूट प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए छात्र लाभार्थियों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी निधि योजना (पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल) के तहत, ₹7.5 लाख तक के स्वीकृत शिक्षा ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जाती है। यह गारंटी कवर बकाया चूक के 75% तक है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के तहत, शिक्षा ऋण की पुनर्भुगतान अवधि अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम वर्ष और एक वर्ष) के बाद 15 वर्ष तक है।

इस प्रकार, विभिन्न छात्रवृत्तियों के साथ मिलकर पीएम विद्यालक्ष्मी, पीएम-यूएसपी सीएसआईएस और पीएम यूएसपी सीजीएफएसईएल योजनाओं के तहत सभी योग्य छात्रों को गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उच्चतर शिक्षा और अनुमोदित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र रूप से सहायता प्रदान की जाती हैं।

उपरोक्त सभी पहलों के फलस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2020-21 में 27.3 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 29.5 (अनंतिम) हो गया है।

*****